

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~रेलमगरा~~
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ~~रेलमगरा~~

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~रेलमगरा~~ व मू.अ.नि. ~~रेलमगरा~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~रेलमगरा~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~रेलमगरा~~ तहसील ~~रेलमगरा~~ जिला ~~रेलमगरा~~ की जमाबन्दी सम्वत् 2077 ~~प.स.स.सी~~ में खाता संख्या ~~71~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	रेलमगरा	71	केशु / नगजीराम मील	केशु लाल / नगजीराम मील

(5)
पीठासीन अधिकारी
~~सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं~~
पदेन ~~सहायक कलक्टर~~ (अधिकारी)
रेलमगरा

क्रमांक :- 147/2025/55

दिनांक :- 29/9/20

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ~~रेलमगरा~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(5)
पीठासीन अधिकारी
~~सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं~~
पदेन ~~सहायक कलक्टर~~ (अधिकारी)
रेलमगरा